प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 07 जुलाई, 2026

विषय:- जिला कारागार, अम्बेड़करनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मीनू उर्फ वन्दना पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-47796/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025) दिनांक-30-12-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अम्बेड़करनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मीनू उर्फ वन्दना पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी, जो पावटी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या में पैरवी किये जाने तथा ब्लाक प्रमुखी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-11.07.2011 को बन्दी अपने 19 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ट्रक से टक्कर मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी नं0-1164/2011, भा0द0वि0 की धारा-307/120बी, 302/120बी में मा० न्यायालय ए०डी०जे०/स्पे०जे० पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-04.07.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पूर्व में हुयी हत्या में पैरवी किये जाने तथा ब्लाक प्रमुखी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-11.07.2011 को बन्दी ने अपने 19 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर ट्रक से टक्कर मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी की आयु 46 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेसन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्धदोष महिला बंदी मीनू उर्फ वन्दना पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अम्बेड़करनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मीनू उर्फ वन्दना (बन्दी संख्या-490/2022) पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-907/2026/2543(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेड़करनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-907/2026/2543/22-2-2025-17(1178)/2025

दिनांक: 07 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अम्बेड़करनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मीनू उर्फ वन्दना पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी, जो पावटी, थाना-चरथावल, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या में पैरवी किये जाने तथा ब्लाक प्रमुखी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-11.07.2011 को बन्दी अपने 19 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ट्रक से टक्कर मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी नं0-1164/2011, भा0द0वि0 की धारा-307/120बी, 302/120बी में मा० न्यायालय ए०डी०जे०/स्पे०जे० पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-04.07.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पूर्व में हुयी हत्या में पैरवी किये जाने तथा ब्लाक प्रमुखी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक-11.07.2011 को बन्दी ने अपने 19 सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर ट्रक से टक्कर मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी की आयु 46 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेसन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बंदी मीनू उर्फ वन्दना पत्नी श्री विक्रान्त त्यागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।